प्रकरण संख्या 243/2011 भोपालसिंह बनाम भैरूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 एक ही खानदान के व्यक्ति होकर मौजा कालोड़ा में आराजी नंबर 663, 664, 665 कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित हैं, जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 11 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/63 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 का 6/63 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, किन्तु मौके पर अलग–अलग खेती करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि हल्दीघाटी मुख्य सड़क पर स्थित होने से अब इसकी कीमत बढ़ जाने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 अधिक हिस्सा होने से एवं आराजी नंबर 666 प्रतिवादी संख्या 1 की होने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि में वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही कब्जा है। अतः वादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2011 से वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर दिनांक 13.12.2011 को अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी [illegible] के आधार पर तनकियात कायम नहीं कर भारी भूल की है। प्रतिवादी के क…	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:12 IST
Reason: SelfAttested

क्लेम का वादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में काउण्टर क्लेम डिक्री योग्य था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बयानों का वादीगण द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बयानों को नहीं मानने का कोई कारण नहीं था। प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा जो साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, उस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1120 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तनकियात कायम नहीं की गयी है तथा मात्र एक पैराग्राफ में अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1120 अनुसार अधिनस्थ न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय करना चाहिए था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2011 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर एवं उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:12 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर